FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 133)

अज अदालत **सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट** मुकाम **हनुमानगढ़**

श्रीमति कृष्णा बनाम **ठाकुर दास**

किस्म मुकदमा 88 आरटीएक्ट न. 133 सन् **2018**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
16.06.2018	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान में कैम्प ग्राम पंचायत रोड़ावाली में प्रस्तुत हुई। वादिनी श्रीमति कृष्णा ने वाद के समर्थन में शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज पर प्रदर्श अंकित किये गये। प्रदर्श 1 वसीयतनामा श्रीमति कलावती दिनांक 15.03.2016 प्रदर्श 2 जमाबन्दी चक नं 6 के के डब्ल्यू खाता श्रीमति कलावती प्रदर्श 3 मृत्यु प्रमाण पत्र श्रीमति कलावती प्रदर्श 4 वारिस प्रमाण पत्र श्रीमति कलावती पत्रावली के सलग्न है। पक्षकरान ने राजीनामा आज प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। वादिनी ने दावा प्रस्तुत किया है कि चक नं 6 के के डब्ल्यू जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 के खाता संख्या 14/17 में दर्ज 2.340 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि वादिनी की सांस श्रीमति कलावती पत्नि रामनारायण के नाम दर्ज है। श्रीमति कलावती के वादिनी के पति ठाकुरदास प्रतिवादी के अलावा अन्य कोई सन्तान नही है। श्रीमति कलावती ने अपनी उक्त वर्णित कृषि भूमि की बाबत अपने जीवन काल में अपनी स्वतन्त्र इच्छा से दिनांक 15.03.2016 को रोबरू गवाहान एक वसीयतनामा वादिनी के पक्ष में निष्पादित करवाया गया है। श्रीमति कलावती का दिनांक 19.04.2017 को देहान्त हो चुका है। मुताबिक वसीयत श्रीमति कलावती के चक नं 6 के के डब्ल्यू की उक्त वर्णित 2.340 हैक्टर खातेदारी भुमि की वादिनी को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में श्रीमति कलावती के स्थान पर वादिनी श्रीमति कृष्णा पत्नि ठाकुरदास का नाम बतौर खातेदार अंकित किया जावे। पत्रावली पर प्रस्तुत वाद पत्र प्रस्तुत दस्तोज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी चक नं 6 के के डब्ल्यू सम्वत् 2070–73 के खाता संख्या 14/2017 में श्रीमति कलावती पत्नि रामनारायण कौम स्वामी	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

(3)

के नाम कुल 2.340 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है। मुताबिक वारिस प्रमाण पत्र कलावती के वारिस एक मात्र पुत्र प्रतिवादी ठाकुरदास है। श्रीमति कलावती द्वारा उक्त वर्णित कृषि भूमि की बाबत एक वसीयतनामा अपनी पुत्रवधु श्रीमति कृष्णा पत्नि ठाकुरदास वादिनी के पक्ष में दिनांक 15.03.2016 को निष्पादित करवाया गया है। श्रीमति कलावती का दिनांक 19.04.2017 को देहान्त हो चुका है। मृत्यु प्रमाण पत्र कलावती पत्रावली पर प्रस्तुत है। पक्षकारान ने न्यायालय में राजीनामा भी प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया है। पक्षकारान भी मुताबिक राजीनामा वाद वादिनी के पक्ष में किये जाने में सहमत है। किसी प्रकार का कोई विवाद इनके मध्य नही है।

लोक अदालत की भावना को भी ध्यान में रखते हुवे आदेश दिया जाता है कि मुताबिक राजीनामा चक नं 6 के के डब्ल्यू जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 के खाता संख्याा 14/2017 श्रीमति कलावती पत्नि रामनारायण स्वामी के नाम दर्ज 2.340 हैक्टर खातेदारी भुमि का वादिनी को खातेदार घोषित किया जाता है। जमाबन्दी में कलावती पत्नि रामनारायण के स्थान पर वादिनी का नाम बतौर खातेदार अंकित किया जावे। नियमानुसार उक्तानुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावे। यदि बैंक ऋण बकाया हो तो डिक्री का अमल दरामद ऋण चुकता के बाद किया जावे।

निर्णय आज मेरे द्वारा आज दिनांक 16.05.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प रोड़ावाली में सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे।

(signature)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

(५)

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6, 7 सि.प्र.संहिता)

(Civil Procedure code, Appendix D, From No. 1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्डधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) रोड़ावाली

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर ए एस

श्रीमति कृष्णा **बनाम** ठाकुर दास

दावा बाबत 88 आर टी एक्ट **राजस्व वाद संख्या 133/2018**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मेरे समक्ष बहाजरी श्री रमेश **दास पुरोहित** अधिवक्ता वादी व और प्रतिवादी की ओर से श्री .... की उपस्थिति आदेश किया जाता है कि वाद पत्र वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री दी जाती है कि:– चक नं 6 के के डब्ल्यू जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 73 के खाता संख्या 14/17 खाता श्रीमति कलावती पत्नि रामनारायण में दर्ज 2.340 हैक्टर खातेदारी भुमि की वादिनी को खातेदार घोषित किया जाता है जमाबन्दी में श्रीमति कलावती पत्नि रामनारायण के स्थान पर वादिनी श्रीमति कृष्णा पत्नि श्री ठाकुर दास के नाम अंकित किया जावे। बैंक ऋण चुकता होने पर डिक्री का आमल दरामद किया जावे।

..........x.......... लीज ....x.......... मुबलिंग ....x..........

बाबत..........x.......... खर्चा इस मुकदमें के सूद बशरह ....x.......... से तारीख वसुलयाबी ....x.......... बसिब्त मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 16-05.2018 से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

विववरण पक्षकरान

श्रीमति कृष्णा पत्नि श्री ठाकुर दास जाति स्वामी निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ — वादिनी

बनाम

ठाकुर दास पुत्र श्री रामनारायण जाति स्वामी निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ — प्रतिवादी

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner